राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1) विभाग

क्रमांक प.3/12(1)कार्मिक/क–1/19 जयपुर, दिनांक: 31 JAN 2022

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
2. पुलिस महानिदेशक,
3. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक,
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
5. अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी, आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस.

विषयः– बैंकों के स्थान पर पेंशन विभाग द्वारा जारी केन्द्रीयकृत पेंशन वितरण हेतु अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक निपेवि/पीसी/ई–कुबेर/2020–21/2574–2673–के दिनांक 20.01.2022 के कम में निवेदन है कि माह दिसम्बर, 2021 से पेंशन वितरण का कार्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के स्थान पर रिजर्व बैंक के ई–कुबेर साफ्टवेयर से निदेशालय, पेंशन विभाग में अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) एवं केन्द्रीयकृत पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

अतः पेंशन परिलाभों का भुगतान बिना किसी विलम्ब के एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की उपस्थिति के बिना किये जाने के लिये निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के पत्र संख्या निपेवि/पीसी/ई–कुबेर/2020–21/2574–2673–के दिनांक 20.01.2022 (संलग्न) में दिये गये प्रपत्र में अधिकारियों के पेंशन कुलक में तथा ऑनलाइन प्रस्तुत करने के समय अग्रेषित पत्र में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
संयुक्त शासन सचिव

Department of Personnel (A-1), Government of Rajasthan, Main Building, Secretariat, Jaipur (Rajasthan)
Phone No.: 0141-2227347 (O), Fax: 2227986, Email: ds-dop@rajasthan.gov.in
D:\K.K.Kaswan\Miscellaneous\New Hindi Letter.docx

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक:-स्थापना/सैटअप/सामान्य/3518-67 दिनांक :- 18-4-2022

1. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
2. समस्त प्रभारी केन्द्रीय/जिला/म.ब.सु. राजस्थान।
3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
4. प्रभारी कम्प्यूटर लैब शाखा महानिदेशालय कारागार जयपुर को उक्त आदेशो की प्रति विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संस्थापन शाखा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, महानिदेशालय कारागार जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. रक्षक पत्रावली।

18/4/22
(यू.एल. छानवाल)
महानिरीक्षक पुलिस कारागार
राजस्थान, जयपुर